

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, संजीव कुमार खेदड, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 72/2019 रे.वाद

दायर दिनांक - 04/10/2019

निर्णय दिनांक - 02/09/2024

अनवान

1. भेरूसिंह पुत्र तेजसिंह रावत निवासी किशनपुरा हाल, कामलीघाट तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी किशनपुरा हाल, कामलीघाट तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील देवगढ़

प्रतिवादीगण


उपस्थित -
वादी की ओर से - श्री लूम्वसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से -

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम
किशनपुरा पटवार हल्का स्वादड़ी ए तहसील देवगढ़ की सीमा में स्थित खाता संख्या
126/123 आराजी संख्या 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46 कुल कित्ता 17 कुल रकबा 21 बीघा 02 विस्वा होकर स्थित है जिसमें वादी का
1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 उदयसिंह का 1/2 हिस्सा है एवं ग्राम किशनपुरा
पटवार हल्का स्वादड़ी ए तहसील देवगढ़ की सीमा में स्थित खाता संख्या 127/174
खसरा नम्बर 36 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा स्थित है जिसमें वादी का कब्जे एवं हिस्से का
3/4 हिस्सा स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा
अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित
होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया
जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-





सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान	
भेरूसिंह पुत्र तेजसिंह रावत सा. देह खा.	39				
	42	0.62	बारानी 2	2.48	
	49	0.21	बारानी 1	0.00	
	52	0.14	चाही 1	4.06	
	53	0.50	चाही 1	14.50	
	54	0.06	बीड 1	0.12	
	55	0.18	चाही 1	5.22	
	योग	किता-07	1.88	चाही 3	2.89
भेरूसिंह पुत्र तेजसिंह रावत सा. देह खा.	45			29.27	
उदयसिंह पुत्र तेज सिंह रावत सा. देह. खा.	योग	किता-01	1.5175	बारानी 1	0.00
			1.5175		0.00
उदयसिंह पुत्र तेज सिंह रावत सा. देह. खा.	40	0.15	बारानी 2	0.60.	
	41	0.35	गै.मु.नाला	1.16	
			बारानी 2		
	42/1	0.23	बारानी 2	0.00	
	44	0.51	बारानी 1	0.00	
	48	0.09	चाही 1	2.61	
	51	0.13	चाही 1	3.77	
	52/1	0.18	चाही 1	5.22	
	53/1	0.06	बीड 1	0.12	
	54/1	0.18	चाही 1	5.22	
उदयसिंह पुत्र तेज सिंह रावत सा. देह. खा.	योग	किता-09	1.88		18.7
	45/2	0.5025	बारानी 1	0.00	
भेरूसिंह पुत्र तेजसिंह रावत 1/2, उदय सिंह पुत्र तेजसिंह रावत 1/2 सा. देह खा.	योग	किता -01	0.5025		0.00
	45/1	0.03	बारानी 1	0.00	
	38	0.34	बारानी 2	1.36	
	38/948	0.28	बारानी 2	1.12	
	39/1	0.01	बारानी 2	0.04	
	43	0.02	गै.मु.आ.चा.	0.00	
	44/1	0.01	बारानी 1	0.00	
	46	0.09	चाही 1	2.61	
	47	0.01	गै.मु.आ.चा.	0.00	
	50	0.02	गै.मु.आ.चा.	0.00	
	53/2	0.01	बीड 1	0.02	
योग	किता-10	0.82		5.15	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्ध



डिक्री व मुकदमे इत्तदाई
मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- संजीव कुमार खेदड़ आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :- 72/2019

1. भैरुसिंह पुत्र तेजसिंह रावत निवासी किशनपुरा हाल. कामलीघाट तहसील
देवगढ़ जिला राजसमन्द

बनाम

वादी


1 उदयसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी किशनपुरा हाल. कामलीघाट तहसील देवगढ़
जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील देवगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित:-
वादी की ओर से - श्री लूम्वसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से -
में इस आशय दिनांक 02/09/2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए

पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् विभाजन
का स्वीकार किया ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का स्वादड़ी ए तहसील देवगढ़ की सीमा में
स्थित खाता संख्या 126/123 आराजी संख्या 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 कुल कित्ता 17 कुल रकबा 21 बीघा 02 विस्वा होकर स्थित है
जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 उदयसिंह का 1/2 हिस्सा है एवं ग्राम
किशनपुरा पटवार हल्का स्वादड़ी ए तहसील देवगढ़ की सीमा में स्थित खाता संख्या
127/174 खसरा नम्बर 36 रकबा 09 बीघा 10 विस्वा स्थित है जिसमें वादी का कब्जे एवं
हिस्से का 3/4 हिस्सा स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य
राजीनामा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने
उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार
किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
भैरुसिंह पुत्र तेजसिंह रावत सा. देह खा.	39			
	42	0.62	बारानी 2	2.48
	49	0.21	बारानी 1	0.00
	52	0.14	चाही 1	4.06
	53	0.50	चाही 1	14.50
	54	0.06	बीड 1	0.12
	55	0.18	चाही 1	5.22
योग	किता-07	0.17	चाही 3	2.89
भैरुसिंह पुत्र तेजसिंह रावत सा. देह खा.	45	1.88		29.27
उदयसिंह पुत्र तेज सिंह रावत सा. देह. खा.	योग	किता-01	बारानी 1	0.00
	40	1.5175		0.00
उदयसिंह पुत्र तेज सिंह रावत सा. देह. खा.	41	0.15	बारानी 2	0.60.
		0.35	गै.मु.नाला	1.16
	42/1		बारानी 2	
	44	0.23	बारानी 2	0.00
	48	0.51	बारानी 1	0.00
	51	0.09	चाही 1	2.61
	52/1	0.13	चाही 1	3.77
	53/1	0.18	चाही 1	5.22
	54/1	0.06	बीड 1	0.12
		0.18	चाही 1	5.22
योग	किता-09	1.88		18.7
उदयसिंह पुत्र तेज सिंह रावत सा. देह. खा.	45/2	0.5025	बारानी 1	0.00
भैरुसिंह पुत्र तेजसिंह रावत 1/2, उदय सिंह पुत्र तेजसिंह रावत 1/2 सा. देह खा.	योग	किता -01		0.00
	45/1	0.03	बारानी 1	0.00
	38	0.34	बारानी 2	1.36
	38/948	0.28	बारानी 2	1.12
	39/1	0.01	बारानी 2	0.04
	43	0.02	गै.मु.आ.चा.	0.00
	44/1	0.01	बारानी 1	0.00
	46	0.09	चाही 1	2.61
	47	0.01	गै.मु.आ.चा.	0.00
	50	0.02	गै.मु.आ.चा.	0.00
	53/2	0.01	बीड 1	0.02
योग	किता-10	0.82		5.15

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

